भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3003

दिनांक 09 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

लिंग आधारित हिंसा

3003. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:-

(क) क्या सरकार ने लिंग आधारित हिंसा से निपटने के लिए मौजूदा कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए तमिलनाडु के विभिन्न भागों में 'वन स्टॉप सेंटर' और 'महिला हेल्पलाइन' के नेटवर्क का विस्तार करने जैसी कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने और पीड़ितों के लिए समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु में कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायपालिका की क्षमता और जवाबदेही में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/प्रस्तावित किए जाने हैं;

(घ) क्या केंद्र सरकार तमिलनाडु में लिंग आधारित हिंसा के बारे में जागरुकता बढ़ाने और सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन करने के लिए राज्य सरकार के साथ काम कर रही है, जिसमें ऐसे अपराध की उच्च घटनाएं वाले क्षेत्र भी शामिल हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा तमिलनाडु में हिंसा से पीड़ित महिलाओं को उनके जीवन को फिर से बनाने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के लिए किस प्रकार का पुनर्वास, परामर्श और आर्थिक सशक्तीकरण सहायता प्रदान की जा रही है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ङ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराध की जांच और अभियोजन सहित कानून और व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है। वे कानून के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं।

भारत के संविधान में समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने और उनका समग्र विकास तथा सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा सकारात्मक पहल का प्रावधान किया गया है। संवैधानिक प्रावधानों में व्यक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, भारतीय संविधान में न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 जैसे विभिन्न कानूनों को अधिनियमित किया गया है जो महिलाओं के सामने आने वाले लैंगिक असमानता, भेदभाव और हिंसा के मुद्दे का समाधान करते हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार विभिन्न योजनाएं और परियोजनाएं कार्यान्वित करती है जैसे हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर सहायता और एकीकृत विविध सेवाएं प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर (ओएससी); देश भर में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए टोल फ्री टेलीफोनिक शॉर्ट कोड 181 पर संचालित महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल); लैंगिक आधार पर भेदभाव आधारित लिंग चयन को रोकने और बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) तथा मिशन शक्ति की अम्ब्रेला योजना के तहत कठिन परिस्थितियों या अभाव का सामना करने वाली महिलाओं के लिए शक्ति सदन।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई पहल की हैं जो नीचे दी गई हैं:-

- यौन अपराधों के खिलाफ़ प्रभावी रोकथाम के लिए आपराधिक कानून (संशोधन), अधिनियम 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 को 12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ बलात्कार के लिए मृत्युदंड सहित और भी कठोर दंडात्मक प्रावधान निर्धारित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। उक्तृ अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ बलात्कार के मामलों में 2 महीने में जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने तथा 2 महीने में मुकदमे पूरे करने का भी प्रावधान है।
- तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के साथ ही पहली बार भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को पुनर्व्यवस्थित कर एक अध्याय में शामिल कर दिया गया है जो आईपीसी में अलग-अलग था। विवाह, रोजगार, पदोन्नति का झूठा वादा करके या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाने को एक नए अपराध के रूप में शामिल किया गया है। यह प्रावधान महिलाओं को रोकने और सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। इसके अलावा, 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दोषी को उसके शेष प्राकृतिक जीवन या मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा होगी।

- सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के लिए एक ढांचा और व्यवस्था तंत्र उपलबध कराने हेतु भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की स्थापना की है।
- सरकार ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) शुरू किया है ताकि आम जनता सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट कर सके। इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाओं को कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए स्वचालित रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कानून प्रवर्तन एजेंसी (एलईए) को भेज दिया जाता है।
- गृह मंत्रालय ने 19 फरवरी 2019 को पुलिस के लिए एक ऑनलाइन विश्लेषण "यौन अपराधों की जांच ट्रैकिंग प्रणाली" शुरू की है ताकि उन्हें आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018 के अनुसार यौन उत्पीड़न मामलों में समयबद्ध जांच की निगरानी और ट्रैक करने में सुविधा हो।

इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा निर्भया कोष के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कई परियोजनाएं/योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं जिनमें आपातकालीन प्रतिक्रिया सहयोग प्रणाली (ईआरएसएस) शामिल है जो आपात स्थिति के लिए अखिल भारतीय एकल नंबर (112)/मोबाइल ऐप आधारित प्रणाली है; अश्लील सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए एक साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल; महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) योजना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उनके 8 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई) में सुरक्षित शहर परियोजनाएं जिनमें बुनियादी ढांचा, तकनीक अपनाना और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय में क्षमता निर्माण शामिल है; व्यापक और समन्वित तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के लिए एक ढांचा और व्यवस्था तंत्र उपलब्ध कराने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी); सीएफएसएल, चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना; फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता; बलात्कार के मामलों और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों के त्वरित निपटान के लिए विशेष पॉक्सो (ई-पॉक्सो) अदालतों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना; मानव तस्करी-रोधी इकाइयों (एएचटीयू) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण; पुलिस स्टेशनों पर महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण इत्यादि शामिल हैं। सरकार ने यौन अपराधों की जांच ट्रैकिंग प्रणाली भी स्थापित की है जो जांच की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक ऑनलाइन विश्लेषण उपकरण है। यौन अपराधियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएसओ) बनाया गया है।

निर्भया कोष के तहत, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने भी कई पहल की हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को

यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह (एसएईसी) किट का वितरण शामिल है। बीपीआरएंडडी ने चार महत्वपूर्ण घटकों अर्थात बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास और प्रतिक्रिया तंत्र पर जोर देते हुए महिला हेल्प डेस्क का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए 'पुलिस स्टेशनों पर महिला हेल्प डेस्क' के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार की है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की रोकथाम और जांच के उद्देश्य से 'पुलिस में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं और जांचकर्ताओं के लिए महिला सुरक्षा और सुरक्षा पुस्तिका' नामक एक पुस्तक भी तैयार की गई है जिसमें यौन उत्पीड़न के अपराध के विशेष संदर्भ में जांच, पीड़िता को मुआवजा और उसका पुनर्वास शामिल है। बीपीआरएंडडी द्वारा संवेदनशीलता के साथ महिला सुरक्षा, पुलिस कर्मियों के लैंगिक संवेदीकरण आदि पर वेबिनार भी आयोजित किए गए।

इसके अलावा, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) नियमित तरीके से शिकायतों के प्रबंधन के अलावा, सोशल मीडिया पर रिपोर्ट की गई घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायतों का भी संज्ञान लेता है। एनसीडब्ल्यू द्वारा प्राप्त शिकायतों पर पीड़ितों, पुलिस और अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय करके तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए कार्रवाई की जाती है।

तमिलनाडु राज्य में 38 जिलों में 48 ओएससी कार्यशील हैं और राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) के अनुसार अधिक अपराध दर वाले बड़े जिलों में अतिरिक्त 10 ओएससी हैं। वन स्टॉप सेंटर की सेवाओं को जेंडर रिसोर्स सेंटर की संकटग्रस्त महिलाओं और बालिकाओं तक बढ़ाने के साथ ही ब्लॉक और पंचायत स्तर तक इस सहायता का विस्तार किया गया है। ओएससी के मनो-सामाजिक परामर्शदाता जेंडर रिसोर्स सेंटर पर आने वाली महिलाओं को परामर्श और जागरूकता सेवाएं प्रदान करते हैं। उपर्युक्त के अलावा, निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:

- घरेलू हिंसा अधिनियम के संरक्षण अधिकारियों ने 9009 मामलों का प्रबंधन किया है जिनमें से तमिलनाडु में 4514 मामलों में घरेलू घटना रिपोर्ट (डीआईआर) दायर की गई है।
- जिला समाज कल्याण अधिकारियों ने दहेज प्रतिषेध अधिकारी होने के नाते 2311 मामलों का निपटान किया है जिनमें से 815 मामले पुलिस थानों में रिपोर्ट किए गए तथा 1218 मामलों में काउंसलिंग की गई तथा सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया गया।
- महिला हेल्पलाइन (181) वर्तमान में डब्ल्यूसीडी नियंत्रण कक्ष में चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) के साथ कार्य कर रही है जिसमें सी-डैक उनके प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता के रूप में है। ये दोनों हेल्पलाइन 112, ईआरएसएस हेल्पलाइन के साथ भी सहज रूप से एकीकृत हैं।
- महिलाओं को अधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए अब तमिलनाडु में वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन को एकीकृत किया गया है।

- तमिलनाडु के सभी महिला सशक्तीकरण केंद्रों के कर्मचारियों को समुदाय में कमजोर महिलाओं और बच्चों को मान्यता प्रदान करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए पुनर्वास स्थलों तक अपनी जागरूकता सेवाओं का विस्तार करने का निर्देश दिया गया है।

जिला विधिक प्राधिकरण तथा पुलिस विभाग वन स्टॉप सेंटर के साथ समन्वय में कार्य कर रहे हैं ताकि पीड़ित महिलाओं को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान की जा सकें। घरेलू हिंसा अधिनियम के संरक्षण अधिकारियों को प्रभावी कामकाज के लिए इस अधिनियम पर प्रशिक्षण दिया जाता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, ओएससी, एचईडब्ल्यू के नोडल अधिकारी तथा जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए जिला स्तरीय बैठक में भाग ले रहे हैं जिसका आयोजन पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं और बच्चों के मुद्दों का समाधान करने के लिए किया जाता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत ग्रामीण और शहरी निकायों के ब्लॉक/तालुका/तहसील में 1047 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पुलिस विभागों के भीतर विशेष इकाइयां और फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित की गई हैं।

राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों का समाधान करना तथा बालिकाओं को शिक्षित करने और सशक्त बनाने के महत्व को बढ़ावा देना है।

तमिलनाडु के सभी जिलों में संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं और ये केंद्र संबंधित विभागों के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रम तैयार करने में संलग्न हैं।

राज्य में बाल विवाह के हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। ओएससी के अलावा, सरकार ने संकटग्रस्त महिलाओं के लिए 33 अल्पकालीन गृह स्थापित किए हैं। ये गृह अस्थायी आवास और सहायता सेवाएं प्रदान करते हैं जिसमें परामर्श, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शैक्षिक अवसर शामिल हैं। इसका लक्ष्य लंबे समय तक रहने के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है जहां पीड़ित देखभाल प्राप्त कर सकें, अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर सकें और ऐसे कौशल विकसित कर सकें जो उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ा सकें। पिछले वर्ष 1281 संकटग्रस्त महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया।

*****